




भारत सरकार / Government of India

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय / Ministry of Labour & Employment
खान सुरक्षा महानिदेशालय / Directorate General of Mines Safety



धनबाद, दिनांक 25/8/23

कार्यालय आदेश सं० 27 (11) 2000-प्रशासन-1/ 76

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों एवं कार्यस्थलों पर काम-काजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम से संबंधित मानदंडों के आलोक में पीड़ितों के द्वारा की गई शिकायत के निवारण हेतु इस निदेशालय से निर्गत दिनांक 03.11.2022 के कार्यालय आदेश सं० 27(11)2000-प्रशा-1/113 को निरस्त किया जाता है एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार उक्त समिति को एतद्वारा पुर्नगठित किया जाता है :

क्रम सं०	नाम	पदनाम	संपर्क सं०
1	श्रीमती मोनिका टुडु, सहायक निदेशक (राजभाषा)	पीठासीन अधिकारी	9431376868
2	श्रीमती रितु श्रीवास्तव, विधि अधिकारी श्रेणी-I	सदस्य	7004225103
3	श्रीमती रिनिता साहा, उप-प्राचार्य डिनोबली स्कूल, धनबाद	गैर सरकारी संगठन से सदस्य	8603802213
4	श्री सुधीर कुमार, निजी सचिव	सदस्य	9546297521

- समिति के पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य के पदधारण की अवधि, गठन की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष होगी ।
- गैर सरकारी सदस्य को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही करने के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित फीस या भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।
- आंतरिक शिकायत समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं यौन उत्पीड़न (रोथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अनुसार एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
- समिति धनबाद में अवस्थित कार्यालयों - मुख्यालय एवं मध्य जोन, धनबाद में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतें, अगर कोई हो तो, उसका निवारण करेगी ।

(Signature)
24.08.2023
खान सुरक्षा महानिदेशक